बिन्दु–3: विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व में माध्यम सम्मिलित है;

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समिति उनके सभापति, उप–सभापति और अन्य सदस्यों, धारा 23 की उपधारा (2) में अभिदिष्ट उसके सचिव और अन्य अधिकारियों को निदेश देना अथवा उन पर नियन्त्रण रखना परिषद् में निहित होगा।

(2) परिषद या निदेशक, समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लेख्यों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और समिति उसके सभापति, उपसभापति, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उपसभापति, सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरूद्ध जॉच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है और निदेशक तद्नुसार कार्य करेगा।

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिये वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय से निहित है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायें।